कार्यालय कलेक्टर, (भू–अभिलेख शाखा) जिला नारायणपुर (छ.ग.)

–::ज्ञापन::–

क्रमांक/847/भू.अ./एन.एल.आर.एम.पी./2016–17 नारायणपुर दिनांक 9/08/2016

प्रति,

आयुक्त
जन संपर्क विभाग
महानदी भवन नया रायपुर
छत्तीसगढ़

विषयः– निविदा का प्रकाशन हेतु।

कृपया संलग्न निविदा का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, जिसमें से कम से कम एक राज्य स्तरीय एवं एक स्थानीय (बस्तर संभाग) से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हों।

संलग्नः– संक्षिप्त निविदा आमंत्रण पत्र।

कलेक्टर 9/8/2016
जिला नारायणपुर

पृ.क्र./848/भू.अ./एन.एल.आर.एम.पी./2016–17 नारायणपुर दिनांक 9/08/2016

प्रतिलिपिः–

1. छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त भू–अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर जिला नारायणपुर को सादर सूचनार्थ। स्टेनो टू कलेक्टर
5. सहायक संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय नारायणपुर को कलेक्ट्रेट के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत नारायणपुर को आपके कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा हेतु।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) नारायणपुर को संलग्न विज्ञप्ति को छ.ग. शासन के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

कलेक्टर 9/8/2016
जिला नारायणपुर

कार्यालय कलेक्टर, (भू–अभिलेख शाखा) जिला नारायणपुर (छ.ग.)

–::संक्षिप्त निविदा आमंत्रण::–

क्रमांक/849/भू.अ./एन.एल.आर.एम.पी./2016–17 नारायणपुर दिनांक 9/08/2016

नारायणपुर जिले में कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा द्वारा संचालित एन.एल.आर.एम.पी. योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2011–12 एवं वित्त वर्ष 2014–15 हेतु मांग संख्या –08, 2029–भू–राजस्व, 103 भू–अभिलेख, 0701– केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य, 6337– भू–अभिलेखका अद्यतीकरण, 27–लघु निर्माण कार्य, 006–अन्य लघु निर्माण कार्य के अन्तर्गत् मार्डन रिकार्ड रूम निर्माण **(Modernization)** का कार्य किया जाना है। निविदा कार्य की अमानत राशि कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा नारायणपुर के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट एफ.डी.आर.टी.डी.आर. के रूप में जमा करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र निविदा दिनांक 09.08.2016 से कार्यालय भू–अभिलेख शाखा कलेक्टोरेट भवन के कक्ष क्रमांक–53 में दिनांक 30.08.2016 को सांय 3:30 बजे तक जमा किया जा सकता है।

संक्षिप्त निविदा का विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	अमानत राशि	प्रावधानित संभावित कुल राशि
1	2	3	4
(1)	मार्डन रिकार्ड रूम का निर्माण (Modernization) कार्य	20000.00	10,93,000.00

टीपः– 1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 30.08.2016 समय 3:30 बजे तक।

2. निविदा खोलने की तिथि – 30.08.2016 समय 4:30 बजे।

निविदा के लिए निर्धारित नियम एवं शर्तों का विवरण :–

1. मुहरबंद लिफाफा जमा करने की अंतिम तिथि 30.08.2016 समय सांय 3:30 बजे तक होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदा पत्र को सम्मिलित नहीं किया जावेगा। निविदा उसी दिन 30.08.2016 को सांय 4:30 बजे खोला जावेगा। निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं।
2. निविदा पंजीकृत फर्मों को ही मान्य किया जावेगा। एवं पंजीयन होने का जीवित सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदाकार ने आयकर अदा किया है एवं उस पर कोई बकाया नहीं है। वर्ष 2015–16 का आय का आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदाकार/निविदादाता का पूर्व वर्ष का वार्षिक टर्न–ओवर कम से कम 20 लाख होना चाहिए एवं टर्न–ओवर प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

5. निविदाकार/निविदादाता को निविदा के साथ 20000.00 रू. की अमानत राशि (सुरक्षा निधि) बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। सुरक्षा निधि कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा जिला नारायणपुर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में होगा। डिमांड ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट ही मान्य किए जावेंगे। सफल निविदाकार की अमानत राशि रोक कर शेष को 15 दिवस के भीतर वापस लौटा दी जाएगी।

निविदा जमा करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जाएगा :–

(अ.) प्रथम लिफाफे में फर्म के लेटर हेड पर अंकित निविदा के संबंध में घोषणा पत्र, वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होने का सत्यापित जीवित प्रमाण पत्र, फर्म ने आयकर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है इस आशय का आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र, पिछले 3 वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित छायाप्रति, TIN Number एवं PAN Number प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति इस क्षेत्र में किए गए पूर्व कार्यों का विवरण (प्रोफार्मा III) को बैंक ड्राफ्ट का विवरण (प्रोफार्मा IV) तथा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रू. 20000.00 की सुरक्षा निधि सम्मिलित करना होगा। प्रथम लिफाफे को मुहरबंद कर लिफाफे के बाहरी हिस्से में निविदाकार/निविदादाता का नाम एवं डाक का पता लिखना होगा। तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "PREQUALIFICATION BID-ENVELOPE A" लिखना होगा।

(ब) द्वितीय लिफाफे में केवल निविदा पत्र, प्रपत्र (प्रोफार्मा V), रखा जायेगा। प्रति इकाई (सेट) दर में सभी देय कर एवं परिवहन, मजदूरी आदि में होने वाला व्यय भी सम्मिलित रहेगा अर्थात् इसके अतिरिक्त अन्य कोई क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा। द्वितीय लिफाफे को मुहरबंद कर लिफाफे के बाहरी हिस्से में निविदाकार/निविदादाता का नाम एवं डाक का पता लिखना होगा तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "COMMERCIAL BID-ENVELOPE B" लिखना होगा।

6. उपरोक्त दोनों मुहरबंद लिफाफे को एक अन्य बड़े लिफाफे में डालकर सीलबंद करना होगा। इस बड़े लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "BID FOR BLANKET" लिखा होना चाहिए। इस बड़े लिफाफे के बाहरी हिस्से में भी निविदाकार/निविदादाता का नाम एवं डाक का पता उल्लेखित होना चाहिए। निविदा के साथ जमा किए जा रहे दस्तावेजों एवं प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म का सील एवं अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
7. निर्धारित दिवस को "PREQUALIFICATION BID-ENVELOPE A" सर्वप्रथम खोला जाएगा। प्रथम लिफाफे में अनिवार्य रूप से कंडिका क्रं –5 (अ) में उल्लेखित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर तथा निविदाकार के दूसरे लिफाफे अर्थात् "COMMER-CIAL BID-ENVELOPE B" को खोला जायेगा।

8. निविदा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि को अपरान्ह 3:30 बजे तक कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा जिला नारायणपुर में ली जायेगी। डाक विलम्ब के लिए कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा।
9. एक निविदाकार फर्म से एक ही निविदा स्वीकार्य होगा। किसी एक फर्म के द्वारा एक से अधिक निविदा भरी जाती है तो उस फर्म की निविदा समिति के द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।
10. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी वह वापस लौटा दी जाएगी। निविदा वापस करते समय निविदा के बंद लिफाफे पर निविदा प्राप्त होने एवं लौटाने की तिथि व समय अंकित किया जाएगा।
11. समिति के द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण किए जाने एवं संतोषप्रद पाए जाने पर ही भुगतान की अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। कार्य असंतोषप्रद पाए जाने पर अस्वीकार्य करने का पूर्ण अधिकार समिति का होगा।
12. सफल निविदाकार कार्यादेश जारी होने के 60 दिन के भीतर मापदण्ड के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं करने पर 100 रू. के मान से प्रतिदिन पेनाल्टी आपके द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा निधि से काटी जाएगी। उसके पश्चात् भी निर्धारित समयावधि में कार्य न करने पर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जाएगी तथा संबंधित फर्म को काले सूची में डालने की कार्यवाही की जाएगी।
13. आमंत्रित निविदा में किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में कलेक्टर जिला नारायणपुर का निर्णय अंतिम होगा।

18/2/16
कलेक्टर
जिला नारायणपुर